राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु–4) विभाग

क्रमांक प.5(5)प्र.सु./अनु–4/2006 जयपुर, दिनांकः 27 SEP 2019

परिपत्र

विषयः सरकारी कार्यालयों में समय की पाबंदी एवं कार्य स्थलों पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के संबंध में।

राजकीय कार्यालयों में अनुशासन एवं काम–काज के स्तर में सुधार लाने के लिए निरीक्षण व्यवस्था को अधिक प्रभावी और सुदृढ़ बनाने हेतु प्रशासनिक सुधार (अनु–4) विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 20.08.2010 (www.ard.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध) निर्गत किया गया है। जिसमें जिला कलक्टर को उनके प्रभाराधीन जिले में स्थित सभी राजकीय निगम, बोर्ड, स्वायत्तशाषी संस्थाएँ, चिकित्सालयों, स्कूलों, जलदाय विभाग, विधुत वितरण कम्पनियों के कार्यालयों एवं जिले में चल रहे विभिन्न विभागों के निर्माण कार्यों एवं नरेगा, आई.सी.डी.एस. आदि योजनाओं में कार्यरत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति की आकस्मिक जांच तथा कार्य करने की गुणवत्ता परखने एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए अधिकृत किया गया है। साथ ही यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि सभी जिला कलक्टर उक्त कार्य हेतु एक निरीक्षण दल का गठन करेंगे।

प्रायः यह ध्यान में आया है कि प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–4) विभाग द्वारा प्रसारित उक्त दिशा–निर्देशों की पूर्णतः पालना नहीं की जा रही है। साथ ही जिलान्तर्गत किये जाने वाले निरीक्षणों (मासिक) की पाक्षिक रिपोर्ट भी नियमित रूप से नहीं भिजवाई जाती है।

अतः समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर/विभागाध्यक्षों को पुनः व्यादिष्ट किया जाता है कि वे उक्त परिपत्र की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करते हुए, जिला स्तर पर, निरीक्षण दल द्वारा मासिक रूप से किये जाने वाले निरीक्षणों की पाक्षिक (प्रत्येक 15 दिवस में) रिपोर्ट, इस विभाग को भौतिक रूप से व ई–मेल areformsgr4@gmail.com पर अवश्यमेव भिजवायेंगे।

(डॉ. आर. वेंकटेश्वरन)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्थान।
2. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर।
3. समस्त विभागाध्यक्ष।
4. रक्षित पत्रावली।

प्रमुख शासन सचिव

VISHNU/AR/2019